UPRN010035542026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)

रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–318/2026

शशी देवी .....बनाम.....दिलीप कुमार आदि

अं०धारा–173(4) BNSS

थाना–डेरापुर, कानपुर देहात।

दिनांक–11.08.2026

1– प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा–173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थिनी द्वारा अपने आवेदनपत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि प्रार्थिनी की शादी दिनांक–14.11.2019 को मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत विपक्षी संख्या–1 दिलीप कुमार के साथ हुई थी। दिलीप ने अपनी जाति छिपाकर फोन के माध्यम से दोस्ती करके प्रार्थिनी से शादी की है। जब प्रार्थिनी विदा होकर अपनी ससुराल ग्राम भगवन्तपुर कौलोहा, थाना भरतकूप, जनपद चित्रकूट गयी तो ससुरालीजन पति दिलीप, ससुर मुन्नलाल, सास शशि, देवर सन्दीप व ननदे बिटुल, सरोजा व सुमन दहेज के रूप में एक बुलेट मोटर साइकिल व सोने की चैन की मॉग करने लगे। जब प्रार्थिनी को पता चला कि दिलीप ने झूठ बोलकर शादी की है तब तक प्रार्थिनी के एक बच्चा हो गया था। इसी बीच ससुरालीजन तरह तरह से प्रताडित करने लगे और शारीरिक व मानसिक रूप से काफी प्रताडित किया। इसी बीच प्रार्थिनी के देवर सन्दीप द्वारा प्रार्थिनी के साथ कई बार अश्लील हरकते व छेडछाड की गई, किन्तु प्रार्थिनी ने मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। प्रार्थिनी मजबूरीवश उत्पीडन के कारण कई कई दिनो तक अपने घर पर रही तथा मेहनत मजदूरी करती रही। इसी बीच जब दिनांक–20.05.2026 को जब प्रार्थिनी अपनी ससुराल में थी उसके अन्य ससुरालीजन कही बाहर गये हुए थे तभी समय करीब दोपहर 1 बजे प्रार्थिनी के देवर सन्दीप कुमार ने मौके का फायदा उठाकर प्रार्थिनी के साथ जबरजस्ती कट्टा लगाकर बलात्कार किया और प्राथिनी को धमकी दी कि यह बात अगर किसी से बतायी तो इस घर में रह नही पायेगी और बताया तो जान से मार देगे, किन्तु प्रार्थिनी ने उक्त घटना बर्दाश्त नही हो रही थी। उसी दिन शाम को प्रार्थिनी ने जब उक्त घटना अपने व सास ससुर को बतायी तो उपरोक्त सभी ससुरालीजन पति, देवर, सास, ससुर ने जातिसूचक गालियाँ देकर कहा कि साली चमरिया अब तुझको इस घर मे नही रखेगे। शोरगुल सुनकर मोहल्ले के कई लोग आ गये थे। उक्त बात को मोहल्ले के कई लोगो ने सुना है और उपरोक्त ससुरालीजनों ने मारपीट कर प्रार्थिनी कासमस्त जेवर कपडा आदि छीनकर मात्र पहने हुए कपडों में घर से निकाल दिया। प्रार्थिनी ने अपने घर पर फोन किया जो पिता रामबाबू प्रार्थिनी को लेने गये। प्रार्थिनी ने इस बावत थाना भरत कूप मे प्रार्थनापत्र दिया था, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थिनी के पिता प्रार्थिनी को अपने साथ लेकर चले आये। दिनांक–02.06.2026 को समय करीब शाम 5 बजे प्रार्थिनी के ससुरालीजन पति, देवर, ससुर व दो लोग अज्ञात एक चार पहिया गाडी से प्रार्थिनी के घर ग्राम अगवासी आये और प्रार्थिनी से तलाक के पेपरों पर हस्ताक्षर बनाने का दबाव बनाने लगे, जब प्रार्थिनी ने

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.08.11 16:21:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मना किया तो उपरोक्त आये हुए सभी लोगों ने एकराय होकर प्रार्थिनी व उसके माता–पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया और जातिसूचक शब्दो का इस्तेमाल करते हुए कि साले चमरो तुम लोग को जिन्दा नहीं छोडेंगे और न ही तेरी लडकी को रखेगे। शोर शराबा सुनकर गॉव के लोगों के इकट्ठा होने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। प्रार्थिनी ने घटना के सम्बन्ध मे थाना डेरापुर मे शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था, किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर प्रार्थिनी ने जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक–10.06.2026 श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को शिकायती प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, किन्तु उस पर भी आज दिन तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। विपक्षीगण लगातार प्रार्थिनी को अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न होने व उसके साथ हुई घटना की शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तद्नुसार प्रार्थिनी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर, कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3– प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से आधार कार्ड की प्रति, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति, एक अदद फोटोग्राफ, डाक रजिस्ट्री रसीद की प्रति व जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

4– प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के कथानक से विदित होता है कि प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा उससे दहेज की अतिरिक्त मांग की गयी, मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया तथा देवर सन्दीप कुमार द्वारा उसके साथ जबरदस्ती कट्टा लगाकर बलात्कार किया गया। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी व उसके माता–पिता के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी भी दी गयी। प्रार्थिनी को घटना की पूर्ण जानकारी है, जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित प्रकरण से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावित अभियुक्तगण परस्पर एक ही परिवार के हैं तथा प्रार्थिनी के पति के माता–पिता, भाई व बहनें हैं। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–16.09.2026 को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
I.D.No– UP06288
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।